न्यायालय सहायक जिलाधीश बड़ीसादड़ी ।राज.।

पिठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. दिंनाक:–01/09/2022
मु. न. :–132/2013

1. श्री बाबुलाल गोदीपुत्र मोहनलाल सामरिया महाजन निवासी बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी
:–प्रार्थी

बनाम

1. श्री नयनकुमार पिता जगदीशचन्द्र आगाल माहेश्वरी निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ
2. श्री चेतनकुमार पिता जगदीशचन्द्र आगाल माहेश्वरी निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ
3. उप पजियक बड़ीसादड़ी :– विपक्षीगण

–: निर्णय :–

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनात्र पत्र धारा 212 रा.का.अधि.का विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी मे खसरा सख्यॉ 345 मे आ.न. 259 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा , आ.न. 261 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा , आ.न. 263 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा , आ.न. 266 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा आ.न. 267 रकबा 3 बिघा 13 बिस्वा तथा साथ सिंचाई हेतु आताचाह आ.न. 260 रकबा 5 बिस्वा स्थित है तथा उक्त आराजी पुश्तेनी हो कर मोहनलाल जी के खातेदारी कि हो कर मोहनलाल जी का स्वर्गवास हो गया है मोहनलाल जी के कोई पुत्र सन्तान नही होने से उन्होने अपने जीवनकाल मे वादी को गोदीपुत्र बना लिया तथा गोद नामा भी दिंनाक 13/10/03 को लिख कर रजिस्टर्ड कराया तथा मोहनलाल जी कि सेवाचाकरी भी वादी/प्रार्थी ने ही कि तथा साथ रह कर उनकी सम्पदा पर काबिज रहा तथा स्वर्गवास के बाद मोहनलाल जी का कियाकर्म भी प्रार्थी ने ही किया तथा प्रार्थनापत्र कि कलम न. 2 मे वर्णित आराजी वादीप्रार्थी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है तथा प्रार्थी के उदयपुर नोकरी करने के दौरान विपक्षीगण ने मोहनलालजी जो की बिमार थे को बहला कर चित्तौड़ ले गये तथा वहा पर उन्होने कुटरचित विकय पत्र अपने नाम निष्पादीत करवा दिया व गोदी पिता के मरने के बाद उक्त आराजी का राजस्व कर्मचारीयो से मिल कर अपने नाम करवा ली जबकी प्रार्थी अपने गोदी पिता की सेवा चाकरी कर रहा था तथा उक्त विकय नामा [illegible] है कर प्रार्थी के हीतो पर बेअसर है उक्त आराजी प्रार्थी के सयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य मे [illegible] मोके पर काबिज है तथा विपक्षी उक्त आराजी का हस्तान्तरण करने [illegible] विपक्षीगण को [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि [illegible] कि यथा स्थिती [illegible] रखे व दखल अन्दाजी ना करे ना करावे तथा मोहन लाल जी के समय से ही प्रार्थी काबिज हो कर प्रार्थी का प्रथम द्रस्टया मामला हो कर सुविधा का सन्तुलन व अपुर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष मे है इस लिये विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का प्रार्थी अधिकारी है व प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

पत्र प्रस्तुत है बाद जॉच प्रकरण दर्ज कर विपक्षी को तलब किया गया तथा विपक्षी न. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हो कर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से इन्कार करते हुए न्यायालय को बताया कि उक्त आराजी का बान्सी मे स्थित होना स्विकार करते हुए अन्य तथ्यो प्रार्थी को गोदी पुत्र रखने वाली बात व प्रार्थी द्वारा मोहनलाल कि सेवा चाकरी व कियाकर्म करने वाली बात से इन्कार किया तथा प्रार्थी को उक्त आराजी पर काबिज होने से भी इन्कार किया तथा आगे बताया कि प्रार्थी द्वारा मोहनलाल पुत्र नही होने से उनकी आराजी को हड़पने के लिये एक फर्जी गोदनामा बहला फुसला कर तैयार करवाया गया तथा जब उक्त बात कि जानकारी मोहनलाल जी को हुई को उन्होने परिवार जनो को बताई व कानुनी कार्यवाही करने को अग्रसर हुए तो प्रार्थी द्वारा मुकदमे से बचने के लिये उक्त फर्जी गोद नामे को एक लिखतम के मार्फत निरस्त कर मोहनलाल को दे दिया तथा मोहनलाल को यह आभास हो गया था उक्त आराजी को ले कर भविष्य मे विवाद हो सकता है इसी के चलते उन्होने रजिस्टर्ड विकयपत्र के मार्फत उक्त आराजी को दिंनाक 4.01.2007 को विपक्षी नयन व चेतन के नाम करवा दिया तथा उक्त आराजी के विपक्षी खातेदार काश्तकार है तथा मोहनलाल का स्वर्गवास भी चित्तौड मे हुआ व मोहनलाल के मरने पर कियाकर्म व सामाजिक कार्य भी विपक्षी ने ही किया तथा प्रार्थी मोहनलाल के जीवनकाल मे उक्त आराजी को हड़प नही सका जो उनके मरने पर उक्त दावा प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर रहा है तथा मोहनलाल की सेवा चाकरी भी विपक्षी ने ही कि तथा विकयपत्र सही व कानुनी है तथा प्रार्थी को गोद लिया होता तो मोहनलाल के वारीस के रूप मे कही ना कही किसी भी दस्तावेज मे प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल लिखा होता प्रार्थी का जमाबन्दी, राशनकार्ड मे नाम बाबुलाल पिता बद्रीलाल दर्ज है तथा फर्जी गोदनामे को शपथपत्र से निरस्त भी किया गया है तथा प्रार्थी रजिस्टर्ड विकयपत्र को शुन्य करवाना चाहता है जो सिविल कोर्ट का क्षैत्राधिकार है तथा विपक्षी रिकार्डेड खातेदार हो कर उक्त आराजी पर काबिज काश्त हो कर विपक्षी के पक्ष मे प्रथम द्रस्टया मामला हो कर सुविधा का सन्तुलन व अपुर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी विपक्षी के पक्ष मे है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किये तथा प्रार्थी व विपक्षी ने अपने अपने समर्थन मे मोतबिरो के शपथपत्र प्रस्तुत किये तथा प्रकरण बहस हेतु नियत किया जा कर दोराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी को गोदी पुत्र बताते हुए मोहनलाल जी का वारीस व अधिकारी बताया व उक्त आराजी पर काबिज होना बताया तथा मोहनलाल कि सेवा चाकरी कर अन्तिम कियाकर्म करना बताया तथा रजिस्टर्ड विकयपत्र को फर्जि बताया व इन्कार किया तथा विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुरोध किया तथा जवाब बहस करते हुए विपक्षी के अधिवक्ता ने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षी को खातेदार क़ाश्तकार बताया व विकय पत्र जिसमे कब्जा देने कि बात लिखी हुई है के आधार पर काबिज काश्त बताया व प्रार्थी के गोदनामे पर प्रश्न उठाया तथा जब तक सिविल कोर्ट से विकयपत्र को निरस्त नही कराले या गोद नामे कि घोषणा नही करा ले उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुती पर सवाल उठाया तथा दस्तावेज जमाबन्दी शपथपत्र निरस्ती गोद नामा व अन्य दस्तावेज पर ध्यान दिलाया व प्रथम द्रस्टया मामला हो कर सुविधा का सन्तुलन व अपुर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी विपक्षी के पक्ष मे बताते हुए प्रार्थी का पार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया न्यायालय द्वारा उभय पक्ष कि बहस सुन कर पत्रावली का दस्तावेज, प्रस्तुत शपथपत्र का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया है तथा धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए न्यायालय को प्रथम द्रस्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन व अपुर्णिय क्षति के सिद्धान्त पर विचार करना पड़ेगा तथा उक्त प्रार्थनापत्र मे वादी गोदीपुत्र के रूप मे दावा ले कर आया तथा गोदनामा रजिस्टर्ड दिंनाक 13.10. 2003.को प्रस्तुत किया है जिसके [illegible] पुर्व उसे गोद किया गया था तथा गोद नामा लिखते वक्त बाबुलाल कि उम्र 25 साल [illegible] नि की वो गोद गया उस वक्त उसकी उम्र 12–13 साल रही होगी [illegible] प्रकरण मे [illegible] एक भी ऐसा दस्तावेज ,आधार कार्ड ,वोटर कार्ड, स्कुल रिजल्ट ,[illegible] जिससे यह लगे कि वो गोद गया या उसके पिता के रूप [illegible] लिखा हो इससे प्रार्थी के गोद जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

संशय हो जाता है क्यो कि उक्त दस्तावेज मे से किसी मे तो नाम होना चाहीये तथा शामलाती खाते कि नकल जिसमे प्रार्थी बाबुलाल के पिता का नाम बद्रीलाल लिखा है तथा राशन कार्ड की प्रति से भी यही लगता है तथा प्रार्थी द्वारा गोद नामे को निरस्त किये जाने बाबत शपथपत्र लिखतम दिंनाक 27.9.2004 भी प्रार्थी के दावे को कमजोर करती है तथा विपक्षी कि बात को बल मिलता है तथा विपक्षी वर्तमान मे खातेदार काश्तकार है तथा प्रथम द्रस्टया मामला प्रार्थी के विपरीत विपक्षी के पक्ष मे हो कर मोहन लाल के मरने पर शोक की सुचना की अखबार की फोटो प्रति भी यह बताती है कि मोहन लाल जी का देहान्त चित्तौड़ मे हुआ तथा विपक्षी नें उनका कियाकर्म किया जिससे भी प्रार्थी का तथ्य कि उसने मोहन लाल जी की देख रेख व कियाकर्म किया हो सन्देहास्पद हो जाता है तथा रजिस्टर्ड विकय के प्रभाव को कोर्ट कम नही कर सकती जब तक कि प्रार्थी उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करा ले कर तथा गोदनामा जहा विवादीत है गोद कि घोषणा का अधिकार सिविल कोर्ट को है यह न्यायालय विपक्षी के उक्त कथन से भी सहमत है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपुर्णिय क्षति का सिद्धान्त विपक्षी के पक्ष मे होने से न्यायालय रिकॉर्डेट काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित नही समझती तथा प्रार्थी बाबुलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनात्र पत्र धारा 212 रा.का.अधि.का एतत द्वारा निरस्त कर खारीज किया जाता है

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (कार्य) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते

बिन्दुबाला राजावत RAS
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:26 IST
Reason: SelfAttested